

अवैध प्लाटिंग पर भिलाई निगम ने की बड़ी कार्रवाई, गिटी और मुरुम किया जब्त, मार्ग संरचना को भी किया ध्वस्त

भिलाई नगर/ अवैध प्लाटिंग को लेकर एक बार फिर भिलाई निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल जाने वाले रास्ते पर लगभग 2 एकड़ भूखंड पर अवैध प्लाटिंग की नियत से पोल लगाए गए थे , मुरुम व गिटी से मार्ग संरचना तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा प्राकृतिक नाला जो गुजरी हुई है उसमें पाइप डालकर डाइवर्ट करने का प्रयास भी अवैध प्लाटिंग करने वालों के द्वारा किया जा रहा था। जैसे ही इसकी सूचना निगम को मिली निगम के अधिकारियों ने अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए चार डंपर मुरुम, एक डंपर गिटी को जप्त किया। इसके साथ ही प्राकृतिक रूप से गुजरे हुए नाला में डाइवर्ट के लिए डाले गए पाइप को हटाया और मूल स्वरूप में तब्दील किया। अवैध प्लाटिंग के लिए लगाए गए पोल को भी हटाया गया। गौरतलब है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अवैध प्लाटिंग , अवैध अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं इसी तारतम्य में अवैध प्लाटिंग को लेकर कार्रवाई की गई। वैशाली नगर की जोन आयुक्त येशा लहरें ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध प्लाटिंग पर कचांदूर जाने वाले मार्ग पर खसरा नंबर 174 की लगभग 2 एकड़ जमीन पर हो रहे अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की गई है तथा बंटाकन की जानकारी तहसील कार्यालय से मिलने पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की भी कार्यवाही की जाएगी। कार्रवाई का सहायक कलेक्टर लक्ष्मण तिवारी ने भी निरीक्षण कर जायजा लिया और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त तहसीलदार क्षमा यदु, सहायक राजस्व अधिकारी जगदीश तिवारी तथा तोड़फोड़ दस्ता सहित निगम के अन्य अधिकारी/कर्मचारी भी मौजूद रहे।

